12/09/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष
उपस्थित मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर
जारी शामिल किया गया। पत्र जाती हो नंबर
से दर्ज हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2025/543

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:01 IST
Reason: SelfAttested

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

राजदीप सिंह बनाम बलतेज सिंह वगैरा

किस्म मुकदमा:–251–क आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–229/2025 (GCMS No. 2025/543)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। मा0राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 5361/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2025 में आदेश जारी कर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 29.09.2023 व इस न्यायालय का आदेश दिनांक 23.01.2023 निरस्त कर आदेश जारी किया गया है कि उभय पक्ष द्वारा राजीनामा के आधार पर प्रथम पक्षकार (अप्रार्थी संख्या 1–2) की चक 17 एस0टी0बी0–ए के पत्थर नं. 43/328 के किला नं. 1 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर 16.5 फुट (लम्बाई, पूर्व से पश्चिम) गुणा 8.5 फुट (चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण)=136.125 वर्गफुट यानि 0.001265 हैक्टर भूमि में तथा द्वितीय पक्षकार (प्रार्थी) के नाम अंकित भूमि पत्थर नं. 43/327 के किला नं. 21/1 में दक्षिणी–पश्चिमी कोना में 16.5 फुट (लम्बाई, पूर्व से पश्चिम) गुणा 8.25 फुट (चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण)=136.125 वर्गफुट यानि 0.001265 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जावे। उभय पक्ष ने भी सहमति प्रदान की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा मा0मण्डल में राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया गया था। जिस पर मा0मण्डल द्वारा राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 17 एस0टी0बी0–ए में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित भूमि पत्थर नं. 43/328 के किला नं. 1 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर 16.5 फुट (लम्बाई, पूर्व से पश्चिम) गुणा 8.5 फुट (चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण)=136.125 वर्गफुट यानि 0.001265 हैक्टर भूमि तथा प्रार्थी के नाम अंकित भूमि पत्थर नं. 43/327 के किला नं. 21/1 में दक्षिणी–पश्चिमी कोना में 16.5 फुट (लम्बाई, पूर्व से पश्चिम) गुणा 8.25 फुट (चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण)=136.125 वर्गफुट यानि 0.001265 हैक्टर भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज हो। उक्त रास्ता का उपयोग सार्वजनिक हो[illegible]ली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2025.09.19 17:18:01 IST Reason: SelfAttested (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक / राजस्व / प्रा.पत्र / 229 / 2025 / 12.09.2025 / 5495 दिनांकः– 12.09.2025

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषय :–राजस्व प्रा.पत्र संख्या 229 / 2025 अनवान राजदीप सिंह बनाम बलतेज सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2025 की पालना करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 17 एस0टी0बी0–ए में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित भूमि पत्थर नं. 43 / 328 के किला नं. 1 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर 16.5 फुट (लम्बाई, पूर्व से पश्चिम) गुणा 8.5 फुट (चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण)=136.125 वर्गफुट यानि 0.001265 हैक्टर भूमि तथा प्रार्थी के नाम अंकित भूमि पत्थर नं. 43 / 327 के किला नं. 21 / 1 में दक्षिणी–पश्चिमी कोना में 16.5 फुट (लम्बाई, पूर्व से पश्चिम) गुणा 8.25 फुट (चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण)=136.125 वर्गफुट यानि 0.001265 हैक्टर भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज हो। उक्त रास्ता का उपयोग सार्वजनिक होगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:01 IST
Reason: SelfAttested